कोरोना संक्रमितों की 749 पर पहुंच गयी ... बंद कर दिया है।

आवासन मण्डल करेगा सबके घर का सपना साकार

आमजन को 19 आवासीय योजनाओं की सौगात

पंजाब केसरी/जयपुर

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आमजन के आवास के सपने को पूरा करने के लिए आवासन मण्डल की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहरों में लॉन्च की गई 19 आवासीय योजनाओं के 6 663 आवासों के लिए पंजीकरण मंगलवार से शुरू होगा।

आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से14 स्वतंत्र आवासीय योजनाओं सहित 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कर्मचारी आवासीय योजना लॉन्च की गई थी। इन योजनाओं में से 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन और 9 योजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मण्डल की ओर से जयपुर के प्रताप नगर और इंदिरा गांधी नगर योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 4 आवासीय योजनाएं बनाई जाएगी। इन योजनाओं में 1 बीएचके फ्लैट की कीमत मात्र 6 लाख 1 हजार और 2 बीएचके फ्लैट की कीमत मात्र 8 लाख 99 हजार रुपए रखी गई है। इन दोनों योजनाओं में 2500 आवास निर्मित किए जाएंगे।

वीकेंड होम नायला में 14.99 लाख में आवास

उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना नायला में वीकेण्ड होम योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत पहाड़ों के तलहटी के नीचे हरी-भरी वादियों के बीच मात्र 14 लाख 99 हजार रुपए में डुपलैक्स आवास खरीदने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। गौरतलब है कि यहां चौपाटी, ओपन एयर थियेटर, चिल्ड्रन पार्क और ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। आयुक्त ने बताया कि राज्य कर्मचारियों के लिए मण्डल की ओर से पहली बार जयपुर में सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आवास उपलब्ध करवाने के लिए सेक्टर 26 प्रताप नगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत समस्त सुविधा युक्त 2 बीएचके फ्लैट मात्र 11 लाख में और 3 बीएचके

फ्लैट मात्र 21 लाख 90 हजार रुपए में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

जयपुर में 5 लाख में स्वतंत्र आवास

उन्होंने बताया कि मण्डल की ओर से लम्बे समय के बाद जयपुर में स्वतंत्र आवासों की योजना लॉन्च की गई है। योजना के तहत जयपुर के समीप टोंक रोड स्थित, वाटिका एवं अजमेर रोड स्थित, महला में कुल 1525 स्वतंत्र आवास बनाए जाएंगे। इनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, और मध्यम आय वर्ग-अ श्रेणी के लोग आवेदन कर सकेंगे। योजना में अल्प आय वर्ग के लिए मात्र 5 लाख में स्वतंत्र आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।

स्ट्रिप ऑफलैण्ड आवेदन राशि के साथ 31 अक्तूबर तक

अरोड़ा ने बताया कि आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त भू-पट्टी (स्ट्रिप ऑफलैण्ड) के आवंटन के लिए आवेदन मय देय राशि सहित अब 31 अक्तूबर तक लिए जाने का निर्णय किया है। पूर्व में आवंटन के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। अरोड़ा ने बताया कि मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में बची हुई स्ट्रिप ऑफलैंड को आवासीय आरक्षित दर की डेढ़ गुना राशि पर आवंटित किया जाएगा। पहले आवासीय आरक्षित दर के दोगुना पर आवंटन किया जाता था। इसके साथ ही अब लीज केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही वसूली जाएगी, पहले यह आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी पर वसूली जाती थी। उन्होंने बताया कि स्ट्रिप ऑफलैंड जोड़ने के बाद भूखंड का जो आकार हो जाएगा, उस पर बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार भूखंड मालिक निर्माण कर सकेगा। पूर्व में स्ट्रिप ऑफ लैंड पर केवल पौधारोपण की ही अनुमति थी। यह नई शिथिलताएं दिसम्बर, 2020 तक ही लागू होगी।

शहर भाजपा अध्यक्ष कोठारी ने दिया इस्तीफा

चार महीने के बिजली बिल